

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओबरी योजना, सेक्टर-5, बाराबंकी में स्व-वित्तपोषित योजनान्तर्गत 31/60 प्रकार के फिनिशड भवन प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर



ऑनलाइन पंजीकरण तिथि : 15.08.2022 से 15.10.2022 तक

भवनों का विवरण

योजना का नाम	सम्पत्ति का भवनों की श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	मानक क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)	पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि समायोजन उपरान्त एक माह के अन्दर भुगतान योग्य धनराशि (₹ लाख में)	अवधीष धनराशि 5 सालान त्रैमासिक किरतों में (₹ लाख में)
ओबरी योजना, बाराबंकी सेक्टर-5	स्व-वित्तपोषित अल्प आय वर्ग (37/60) फिनिशड	42	27.00	60.59	26.51	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी
						2.65	1.33	4.01

रेसा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ540217

रेसा की वेबसाइट : www.up-rera.in

नियम व शर्तें:

- आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किरत की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्यदिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
- समर्पत मुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. एवं ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दें होगी।
- किसी भी मुगतान में विलम्ब की दशा में अवधीष धनराशि पर 9 प्रतिशत सामान्य व्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज की दर से देय होगा। परिषद द्वारा बकाए की तीन पंजीकरण नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का मुगतान न करने पर पंजीकरण रस्त : निरस्त सामग्री जारी, जिसके लिए आवंटी रख्ये जारी रखा जाएगा।
- प्रथम चरण में (कम्प्रेस्ट मुगतान करने पर प्राप्त आवेदनों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ढांग द्वारा किया जाएगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किरतों पर प्राप्त आवेदनों में सफल आवेदकों को लॉटरी ढांग से कार्यवाही की जाएगी।
- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/भागी पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवस्थित की जाएगी।
- आवंटन के पश्चात आवंटन सेक्टर-5 में भवन करने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमत्य होगी।

नोट

- पंजीकरण हेतु प्राप्त एवं शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर उपलब्ध है—पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- परिषद विनियोगों के प्राविधिकों में धारा—उपधारा के सहे हुए भी किसी विशेष परिस्थितों में आवास आयुक्त को अन्यथा नियंत्रण लेने का पूर्ण अधिकार रखेगा। किसी विषय अथवा वाद—विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम रूप से आवधारी होगा।
- भवनों का भौतिक कला 30.06.2024 से पूर्ण दिया जाना प्रस्तावित है।
- पंजीकरण आवेदन शुल्क ₹10000 जी.एस.टी. सहित ऑनलाइन ही जमा करना होगा।

आवेदन मात्र ऑनलाइन
नियम से किए जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

बैंक का नाम - एच.डी.एफ.सी.

शाखा :- 4099, दर्शन एन्क्लेव, सिविल लाइन्स, फैजाबाद

श्री अभ्य प्रताप सिंह © 7607967747

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail: info@upavp.com

श्री प्रोतो गुप्त दिवंग
अधीक्षण अधिकारी,

अयोध्या त्रुति,
गोखरुपुर जात

© 8795810173

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

श्री आर.सी. यादव

अधीक्षण अधिकारी,
अयोध्या त्रुति,

निर्माण खण्ड, अयोध्या-1, अयोध्या

© 8795810092

श्री मुकेश पाल

सम्पर्क ब्रांच,
अयोध्या

निर्माण खण्ड, अयोध्या-1, अयोध्या

© 8795810970



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें—
1800-180-533 (टोल-फ्री) 0522-2236803

या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।